शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001
Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar
Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001
TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक/ 289 /अका./विद्यापरिषद/2022 जगदलपुर, दिनांक 25/05/2022

//विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 25.05.2022 का कार्यवाही विवरण//

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 25.05.2022 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन/प्रशासन द्वारा जारी सभी प्रोटोकाल एवं निर्देशों का पालन करते हुए बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा शेष निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य :–

1.	प्रोफेसर (डॉ.) शैलेन्द्र कुमार सिंह कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	सुश्री तस्नीम अख्तर, सहायक प्राध्यापक एवं अध्ययन मण्डल अध्यक्ष–अंग्रेजी शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	सदस्य
3.	डॉ. डी.एल. पटेल, सहायक प्राध्यापक एवं अध्ययन मंडल अध्यक्ष–भूगोल भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	सदस्य
4.	डॉ. शरद नेमा, प्राध्यापक एवं अध्ययन मण्डल अध्यक्ष–वानिकी एवं वन्यजीव वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर	सदस्य
5.	डॉ. रामायण प्रसाद टण्डन, सहायक प्राध्यापक एवं अध्ययन मंडल अध्यक्ष–हिन्दी शासकीय इन्दु केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर	सदस्य
6.	डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर	सदस्य
7.	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर	सदस्य
8.	डॉ. सजीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष –कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)	सदस्य

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य :–

9.	डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष – वाणिज्य संकाय शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	सदस्य
10.	श्रीमती जयश्री साहू, सहायक प्राध्यापक एवं अध्ययन मंडल अध्यक्ष – सूक्ष्मजीव विज्ञान महेश बघेल जी शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल	सदस्य
11.	डॉ. शिखा सरकार, सहायक प्राध्यापक एवं अध्ययन मंडल अध्यक्ष – इतिहास शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा	सदस्य
12.	डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सरोना (साल्हेभाटा)	सदस्य
13.	डॉ. एल.आर. सिन्हा, सहायक प्राध्यापक एवं अध्ययन मंडल अध्यक्ष – अर्थशास्त्र भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	सदस्य

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 04.04.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :–

सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 04.04.2022 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन को विद्यापरिषद के पटल पर रखना।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में संचालित बी.बी.ए. एवं बी.एस–सी. इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त किया गया है। जिसका कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

प्राचार्य, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर के संलग्न पत्र क्रमांक 1750/स्था./2022 जगदलपुर, दिनांक 30.03.2022 के द्वारा महाविद्यालय में बी.बी.ए. एवं बी.एस–सी. इलेक्ट्रानिक्स की कक्षाएँ विगत कई वर्षों से संचालित नहीं होने के कारण उक्त विषयों की संबद्धता सूची से हटाने का निवेदन किया गया था। साथ ही विश्वविद्यालय में उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जनभागीदारी/स्ववित्तीय योजना अन्तर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय की अनुमति से संचालित बी.बी.ए. पाठ्यक्रम तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय की अनुमति से संचालित बी.एस–सी. इलेक्ट्रानिक्स विषय की मान्यता/अनुमाति समाप्त किये जाने संबंधी छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा संचालनालय से आदेश/पत्र संलग्न नहीं होने के कारण उक्त संबंध में कुलसचिव महोदय द्वारा उच्च शिक्षा संचालनालय के सक्षम अधिकारी से हुई चर्चानुसार महाविद्यालय में नैक प्रत्यायन को दृष्टिगत रखते हुए विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद की अनुमोदन के प्रत्याशा में उक्त पाठ्यक्रम को छोड़कर महाविद्यालय में संचालित शेष समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का उल्लेख करते हुए नैक हेतु निर्धारित संबद्धता संबंधी अंग्रेजी प्रारूप में आदेश जारी किया गया है।

निर्णय :–

महाविद्यालय में संचालित बी.बी.ए. एवं बी.एस–सी. इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

अधिसूचना क्रमांक/413/परीक्षा/गोपनीय/ब.वि.वि./2020 जगदलपुर दिनांक 29.08.2020 को N+2+1 (N=किसी भी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि समाप्त करने के संबंध में जारी विश्वविद्यालय के अधिसूचना की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

श्री रेखचंद जैन, माननीय विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम विभाग छत्तीसगढ़ एवं कार्यपरषिद सदस्य शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के पत्र क्रमांक/2187/MLAJDP/स्था./2022 दिनांक 05.05.2022 के अनुसार पूर्व में विद्यापरिषद/कार्यपरिषद के द्वारा निर्णय लिया गया था कि किसी भी विद्यार्थी को छः वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात् परीक्षा मे बैठने की अनुमति नहीं होगी, ऐसे छात्र जिन्होंने छः वर्ष की अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नही किया है। परीक्षा में शामिल किये जाने हेतु आवेदन दिया गया है।छात्रों के भविष्य को देखते हुए विद्यापरिषद/कार्यपरिषद के नियम को शिथिल करते हुए परीक्षा में शामिल किये जांने की अनुशसा की गई है।

उक्त अनुशंसा के परिपालन में विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक/536/परीक्षा/ गोपनीय/श.म.क.वि.वि./2022 जगदलपुर, दिनांक 05.05.2022 के द्वारा N+2+1 (N=किसी भी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि के संबंध में जारी विश्वविद्यालय के अधिसूचना को विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में समाप्त किया गया है।

निर्णय :–

कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

शैक्षणिक सत्र 2020–21 के वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 6 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

सत्र 2021–22 की शेष परीक्षाओं (सेमेस्टर परीक्षा जनवरी–जून 2022) का आयोजन अध्यादेश क्रमांक–5 की कंडिका–22 के अनुसार ब्लैन्डेड मोड में आयोजित किये जाने विषयक।

विभागीय टीप :–

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3–33/2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28/03/2022 के माध्यम से कोविड–19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन, प्रदेश के राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021–22 में अध्यापन एवं अध्ययन तथा परीक्षाओं के संबंध में शिक्षा सत्र 2021–22 के शेष सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ/ऑनलाईन/ब्लैन्डेड मोड में आयोजित करने के लिए कार्यपरिषद के अनुमोदन से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में सेमेस्टर परीक्षा जनवरी–जून 2022 के आयोजन कराये जाने हेतु अध्यादेश क्रमांक–5 की कंडिका–22 में निहित प्रावधान अनुसार दिशा–निर्देश/विनियम प्रारूप विद्यापरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

1. परीक्षार्थी का परीक्षा में प्रवेश सभी निर्धारित शर्ते पूर्ण करने के अधीन होगा। परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में उल्लेखित विषय/प्रश्नपत्रों इत्यादि के अनुसार प्रष्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जावेगा।
2. परीक्षार्थियों को महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए एक प्रश्न पत्र, एक मुख्य उत्तरपुस्तिका (24 पेज) एवं एक पूरक उत्तरपुस्तिका (08 पेज) कुल 32 पेज का बुकलेट बनाकर सभी प्रश्नपत्रों का बुकलेट एक लिफाफा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार प्रदान किया जायेगा।
3. कोविड–19 के कारण लॉकडाउन होने की स्थिति में परीक्षार्थियों के सुविधा हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईड में प्रश्न पत्र ऑनलाईन उपलब्ध कराया जायेगा। परीक्षार्थी अपना User Id & Password login कर प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेगें।

4. प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका बुकलेट के साथ उपस्थिति पत्रक भी परीक्षार्थियों को प्रदान किया जायेगा। उपस्थिति पत्रक के समस्त विवरण परीक्षार्थी को अनिवार्यतः परिपूरित करना होगा तथा वीक्षक को भी उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करना होगा।
5. महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र में बुकलेट वितरण एवं प्राप्ति हेतु पृथक्–पृथक काउंटर (15 परीक्षार्थियों पर) व्यवस्था किया जाएगा।
6. परीक्षार्थी द्वारा जमा उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अनुक्रमांक / नामांकन अंक स्पष्ट अक्षरों में लिखा है का परीक्षण कर वीक्षक को अनिवार्यतः उत्तरपुस्तिका में हस्ताक्षर करना होगा।
7. हस्तलिखित उत्तरपुस्तिका निर्धारित तिथि को महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्रों में जमा करना होगा।
8. पोस्ट / कोरियर एवं अन्य माध्यम से उत्तरपुस्तिका प्राप्ति / जमा करने का प्रावधान नहीं होगा।
9. महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र में उत्तरपुस्तिका जमा नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को अनुपस्थित माना जाएगा।
10. यदि कोई परीक्षार्थी महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र से प्रदाय उत्तरपुस्तिका जमा नहीं करता है अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी के उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति जमा करता है अथवा किसी अन्य से उत्तरपुस्तिका में उत्तर लिखवाने पर उसके विरूद्व अनुचित साधन प्रकरण बनाया जायेगा।
11. उत्तरपुस्तिका गुम जाने / भीग जाने / फट जाने की स्थिति में परीक्षार्थी को थाने में सूचना देनी होगी तथा एफ.आई.आर. की एक प्रति महाविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को दोबारा उत्तरपुस्तिका प्रदान नहीं की जायेगी।
12. किसी भी परिस्थिति में अभिभावक / रिश्तेदार इत्यादि को उत्तरपुस्तिका / प्राप्ति / जमा करने का प्रावधान नहीं होगा।
13. इस परीक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधान अनुसार पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना के प्रावधान होगें।
14. परीक्षार्थी को जिस सरल कमांक की उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी उसी सरल कमांक के उत्तरपुस्तिका उतनी ही संख्या में महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र में जमा करना होगा। उत्तरपुस्तिका किसी अन्य परीक्षार्थी के साथ अदला–बदली करने पर अनुचित साधन प्रकरण बनाया जायेगा।
15. उत्तरपुस्तिका का दुरूपयोग (Misuse) करने वाले परीक्षार्थियों पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जावेगी।
16. प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने तथा उत्तरपुस्तिका जमा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. नेत्रहीन Physically Handicapped and Dyslexic (दिव्यांग) परीक्षार्थियों को लेखक सुविधा होगी।
18. विलम्ब से प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए विचार नहीं जायेगा।
19. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा। अतः महाविद्यालय स्तर पर मूल्यांकन कार्य नहीं किया जायेगा।

निर्णय :–

शासन के उपरोक्त आदेशानुसार शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर द्वारा सेमेस्टर परीक्षा जनवरी–जून 2022 में आयोजित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ वि.वि. द्वारा तैयार विनियम / निर्देश अनुसार ऑनलाईन / ब्लेंडेड मोड में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 7

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय –

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

इंजीनियरिंग एवं बी.सी.ए. उत्तीर्ण छात्र जो एम. एस–सी. गणित पूर्व परीक्षा दिये हैं अथवा परीक्षा उत्तीर्ण किये है उसे Bridge Course कराये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

दिनांक 20.05.2022 को गणित अध्ययन मंडल की बैठक विडियों कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से आयोजित की गई जिसमें सम्मिलित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर Bridge Course कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

निर्णय :–

इंजीनियरिंग में स्नातक एवं बी.सी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं जो एम.एस–सी. गणित (पूर्व) की परीक्षा में सम्मिलित हुए है अथवा परीक्षा उत्तीर्ण किये है, उन्हें एम.एस–सी. गणित (अंतिम) की परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व अथवा एम.एस–सी. गणित (अंतिम) की परीक्षा में सम्मिलित होने के साथ–साथ अध्ययन मंडल विषय–गणित द्वारा निर्धारित Bridge Course पाठ्यक्रम के सिलेबस एवं परीक्षा योजना अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही एम.एस–सी. गणित की अंकसूची एवं उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अध्यादेश क्रमांक–22 एम.एस–सी. परीक्षा में आवश्यक संशोधन नियमानुसार किया जावे।

25/5/22
कुलपति
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

25/05/2022
कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)